

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:-----/ बी० एस० एम० एफ० सी०

पटना,दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वर्ष 2017-2018 अररिया जिला के चयनित ऋणार्थी के लिए पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-477 दिनांक-09.02.2022 के क्रमांक से सम्बन्धित ऋणार्थी के नाम के सामने पूर्व में समर्पित बैंक Inactive होने के कारण ऋण की राशि खाता में अंतरित नहीं हो सका । इसके बदले नया बैंक खाता में ऋण राशि RTGS/NEFT के द्वारा स्थानांतरित करने की संशोधित स्वीकृति दी जाती है।

पूर्व स्वीकृत्यादेश का क्रमांक	ऋणावेदक नाम, पिता/ पति का नाम तथा पता	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित खाता संख्या	नया खाता संख्या	भुगतेय राशि
1 2	MOHAMMAD MINHAJ , S/o- MD MURSHID ALAM , Vill.-GULAM HASAN TOLA JHAMRA , Block-ARARIA, PS-TARABARI, PO-BANSBARI , Distt.-ARARIA-854311, Mob No:-9631388321	A/c No.:- 254601501563, ICIC0002546 ICICI BANK	A/c No.:- 50390653698, IDIB000A651 INDIAN BANK	196970
			कुल	196970

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए । किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या-477 दिनांक 09.02.2022 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेगा ।

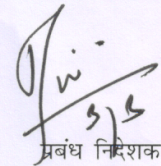
स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ज्ञापांक:-----686

प्रतिलिपि:-ऋणधारक/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा /प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर को एस० एम० एस०/ ई-मेल करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
प्रबंध निदेशक
दिनांक: 04-3-2022


प्रबंध निदेशक